न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120039892025

Warrant or Summons Criminal Case/2060/2025

परिवाद संख्या–416/2026
लोकेन्द्र बनाम राज सिंह उर्फ काले
अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट
थाना–सिम्भावली, जनपद हापुड़।

दिनांक–19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

परिवादी लोकेन्द्र की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र विपक्षी राज सिंह उर्फ काले के विरुद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट में तलब कर दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियोगी के स्व० श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री चन्द्रभान निवासी ग्राम हशुपुरा परगना 23 तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ से ग्रामवासी होने के कारण अच्छे पारिवारिक सम्बन्ध चले आ रहे थे। उक्त स्व० श्री रनवीर सिंह की पुत्री पुष्पा का विवाह विवाह विपक्षी के साथ हुआ था। विपक्षी को अपने किसी कार्य हेतु अंकन 3,00,000/– रू0 की आवश्यकता थी। विपक्षी द्वारा अपने ससुर स्व० श्री रनवीर सिंह से अंकन 3,00,000/–रू० की उधार की मांग की गयी। स्व० श्री रनवीर सिंह द्वारा उक्त धनराशि दिये जाने में अपने अस्मर्थता जाहिर की गयी। तो विपक्षी द्वारा अपने ससुर पर दबाव बनाया गया कि विपक्षी को उक्त धनराशि की अति आवश्यकता है। विपक्षी द्वारा अपने ससुर स्व० श्री रनवीर सिंह पर, विपक्षी द्वारा बनाये गये दबाव के कारण प्रार्थी/अभियोगी के साथ चले आ रहे अच्छे सम्बन्धो के कारण स्व० श्री रनवीर सिंह द्वारा प्रार्थी / अभियोगी से विपक्षी को अंकन 3,00,000/–रू० दिये जाने हेतु कहा गया। जिसके लिए अभियोगी द्वारा उक्त धनराशि की बाबत सिक्योरटी के रूप में चैक की मांग की गयी। विपक्षी को अभियोगी द्वारा अंकन 3,00,000/–रू० बतौर नगद अपने खाता सं0 2816 किसान सेवा सहकारी समिति लि० बक्सर जिला हापुड़ से दिनांक 22.06.2023 को अंकन 3,00,000/– रू० निकालकर अपने मित्र स्व० श्री रनवीर सिंह के कहने पर दिये गये। तथा विपक्षी द्वारा बतौर सिक्योरिटी अभियोगी को अपने खाता सं० 002220003003427 जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गाजियाबाद शाखा मोदीनगर का चैक सं0 482579 दिनांक 21.08.2025 का दिया गया। तथा कहा गया कि मैं आपकी उक्त धनराशि चैक के दिनांक से पूर्व ही अदा कर दूंगा। तथा अपना चैक वापस प्राप्त कर लूगां। अभियोगी द्वारा विपक्षी की बातों पर विश्वास करते हुए अपने मित्र स्व० श्री रनवीर सिंह के कहने पर आपको उक्त धनराशि अदा की गयी। लेकिन अभियोगी के बार–बार अपनी उक्त धनराशि को वापस करने हेतु विपक्षी से कहा जाता रहा लेकिन विपक्षी द्वारा दो चार दिन कहकर टालते रहे। विपक्षी के ससुर स्व० श्री रनवीर सिंह द्वारा भी विपक्षी से अनेको बार धनराशि लोटाये जाने हेतु कहा जाता रहा लेकिन विपक्षी बहाने बाजी करता रहा। दुर्भाग्य से रनवीर सिंह की दिनांक 05.12.2023 को मृत्यु हो गयी। अभियोगी द्वारा विपक्षी से अपनी धनराशि वापस करने हेतु पुनः मांग की गयी तो विपक्षी द्वारा अभियोगी को अवगत कराया गया कि विपक्षी के खाते में प्रयाप्त धनराशि है अभियोगी को दिये गये चैक अपने खाते में जमा करने हेतु कहा गया। तथा विश्वास दिलाया गया कि उसके खाते में

प्रयाप्त धनराशि है। उक्त धनराशि का भुगतान उक्त चैक से हो जायेगा। अभियोगी द्वारा विपक्षी की बातो पर विश्वास करते हुए विपक्षी द्वारा दिये गये चैक सं० 482579 जिला सहकारी बैंक लि० गाजियाबाद शाखा हापुड़ को दिनांक 21.08.2025 को अपने खाता सं० 1371102000000392 आई०डी०बी०आई० बैंक लि० भोवापुर मस्तान नगर सिम्भावली मिल में जमा किया गया जो खाते में प्रयाप्त धनराशि ना होने के कारण टिप्पणी के साथ अभियोगी को दिनांक 25.08.2025 को बिना भुगतान हुए वापस कर दिया गया। अभियोगी द्वारा इसकी सूचना विपक्षी को फोन पर दी गयी। तो विपक्षी द्वारा कोई संतुष्टी पूर्ण जबाब नहीं दिया गया। जिससे विदित होता है कि विपक्षी की नियत में बदनियती आ गयी है। तथा विपक्षी अभियोगी द्वारा दी गयी धनराशि को हडप करना चाहता है। विपक्षी द्वारा अभियोगी के साथ घोर धौखा धड़ी की गयी है अभियोगी द्वारा जब भी विपक्षी से फोन पर उक्त प्रकरण के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो विपक्षी या तो अभियोगी से फोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है ना ही अभियोगी से ली गयी धनराशि वापस करने को तैयार है। साथ ही अभियोगी को तरह–तरह की धमकी देने लगा जिससे अभियोगी को अत्याधिक आर्थिक व मानसिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। अभियोगी द्वारा विपक्षी को पुनः उक्त चैक के भुगतान न होने की जानकारी विपक्षी को फोन पर दी गयी तो विपक्षी अभियोगी को एक दो दिन कहकर टालते चले आ रहे है। जिससे विपक्षी की नियत में बदनियती होने का आभाश हो रहा है। विपक्षी जान बूझकर अभियोगी को उक्त धनराशि का भुगतान करना नहीं चाह रहे है। विपक्षी के मन में बदनियती आ गयी है तथा विपक्षी ने जान बुझकर छल करके धनराशि हडपने की नियत से यह जानते हुए कि विपक्षी के खाते में प्रयाप्त धनराशि नहीं है। विपक्षी द्वारा उक्त चैक को जारी किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी अभियोगी को उक्त चैक में वर्णित धनराशि अदायगी नहीं करना चाहता है। विपक्षी के मन में बदनियती आ गयी है तथा विपक्षी ने जान बुझकर छल करके धनराशि हडपने की नियत से यह जानते हुए कि विपक्षी खाते में प्रयाप्त धनराशि नहीं है। विपक्षी द्वारा उक्त चैक को जारी किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी अभियोगी को उक्त चैक में वर्णित धनराशि की अदायगी नहीं करना चाहते है। अभियोगी द्वारा एक रजिस्ट्रर्ड नोटिस दिनांक 30.08.2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को दिया गया परन्तु विपक्षी द्वारा उसका भी कोई जबाब नहीं दिया गया।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में एक किता असल चैक संख्या 482579, अंकन 3,00,000/– रूपये दिनांकित 21.08.2025, एक किता असल रिटर्न मेमो, एक किता लीगल नोटिस मय असल रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 30.08.2025 व ट्रैक रिकार्ड की प्रति दाखिल किये गये हैं।

तलबी के प्रश्न पर परिवादी लोकेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपरोक्त मामले में विपक्षी राज सिंह उर्फ काले द्वारा 482579, अंकन 3,00,000/– रूपये दिनांकित 21.08.2025 परिवादी को दिया गया था। जो दिनांक 25.08.2025 को Funds Insfficient का कारण बताते हुए बैंक द्वारा परिवादी के पैसों का भुगतान नहीं हो पाया। परिवादी द्वारा विपक्षी को पैसे का भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया तथा दिनांक–29.09.2025 को प्रस्तुत परिवाद दर्ज कराया गया। नोटिस का उद्देश्य उस व्यक्ति को सूचित करना है जिसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इससे यह स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अं०धारा 138 एन.आई.एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त राज सिंह

उर्फ काले के विरूद्ध अं०धारा–138 एन.आई.एक्ट में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार प्रतीत होता है

आदेश

1. अतः अभियुक्त **राज सिंह उर्फ काले पुत्र ईश्वर निवासी गधा गेट, मोदीनगर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश** को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दिनांक– 06.04.2026 के द्वारा सम्मन तलब किया जाता है।

2. परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर सप्ताह करे तथा गवाहों की सूची पत्रावली पर दाखिल करें।

3. उपरोक्त आदेश पैरवी व गवाहों की सूची दाखिल करने के उपरान्त प्रभावी होगा।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.04.08 13:04:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court